

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय  
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, नीमचक बथानी (गया)

पत्रांक: 2291/

दिनांक: 25.08.25

प्रेषक,

कार्यपालक अभियंता,  
ग्रामीण कार्य विभाग,  
कार्य प्रमंडल, नीमचक बथानी।

सेवा में,

M/S Aadarsh Construction (Bid ID: 608913)  
Vill.- Gourachni Manpur, Buniyadganj, Mufassil, Gaya-823003  
Email ID - aadarshconstruction@gmail.com

विषय

शीर्ष MMSU-IV ग्रामीण सड़क सुदृढीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम (प्रखण्ड बथानी) अन्तर्गत पैकेज सं०  
RRSMP/2024-25/Neemchak Bathani/02 (Tender ID-139087) का पथ निर्माण एवं साल वर्षीय रख-रखाव  
कार्य हेतु कार्यादेश निर्गत करने के संबंध में।

महाराज,

उपर्युक्त विषयक कार्य का आवंटन अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार पटना का पत्रांक  
मु०अ०(अ०उ०)-4515-01-791/2025-पार्ट-II- 2333/अनु० दिनांक 18.06.2025, मुख्य अभियंता-2(गया), ग्रामकाठि०, पटना  
का पत्रांक 1022 दिनांक 20.06.2025 एवं अधीक्षण अभियंता, ग्रामकाठि०, कार्य अंचल, गया का पत्रांक 1272 दि० 21.06.2025  
के द्वारा किये जाने के उपरान्त आवश्यक प्रक्रियाएँ पूरी करते हुए उक्त कार्य को क्रियान्वित करने हेतु आपके द्वारा  
एकराशनामा किया गया है। किये गये एकराशनामा की सं० 07 /CMHD/MMSU-IV वर्ष 2025-26 एवं एकराशित राशि  
9,81,07,835/- (नौ करोड़ एकासी लाख सात हजार आठ सौ पैंसि) रु० मात्र है। विषयकित कार्य के स्थल प्रगारी श्री  
सरवर आलम कनीय अभियंता होंगे एवं कार्य का क्रियान्वयन श्री हरे राग, सहायक अभियंता के कुशल तकनीकी पर्यवेक्षण एवं  
निर्देशन में सम्पन्न होगा। इस कार्य हेतु किए गये एकराशनामा की सत्यापित प्रति संलग्न करते हुए निदेश दिया जाता है कि  
आप अदिलख संबंधित कनीय अभियंता एवं सहायक अभियंता से सम्पर्क स्थापित कर कार्य प्रारंभ कर दें तथा कार्य को  
तकनीकी विशिष्टियों एवं एकराशनामा में उल्लेखित शर्तों के अनुरूप सम्पादन करने हेतु ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित किया जाए  
ताकि यह कार्य निर्वाह गति से चलती रहे एवं औपबधिक कार्यादेश निर्गत होने की तिथि अर्थात् दिनांक 18.06.2025 से  
17.06.2026 के पूर्व तक कार्य को हर हाल में पूर्णरूपेण समाप्त किया जा सके। ज्ञातव्य हो कि यह कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण  
एवं प्राथमिकता श्रेणी का है।

अतः इसे निर्धारित समय सीमा के अन्दर पूरा करना अनिवार्य होगा। पथ में अगर वन भूमि पड़ती हो तो बिना  
अनापत्ति प्रमाण-पत्र का उस भाग पर निर्माण कार्य नहीं करना है। कराये गये कार्य का संबंधित विभाग से गुणवत्ता से  
संबंधित एवं गुण नियंत्रण प्रमाण-पत्र विपत्र के साथ समर्पित करना अनिवार्य है एवं विपत्र के साथ F-C bilan मूल में जमा  
करना सुनिश्चित करें।

विश्वराजनाजन्,

कार्यपालक अभियंता,  
ग्रामीण कार्य विभाग,  
कार्य प्रमंडल, नीमचक बथानी।